

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- जयपुर में कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक बी.एस.एन.एल. का उप मण्डल अभियंता 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 05 अप्रैल, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मनीष चांदना उप मण्डल अभियंता (सब-डिविजीनल इंजिनियर) कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. एम.आई.रोड़ जयपुर को परिवादी से 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा किये गये कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान एवं किये गये कार्यों की मेजरमेंट-बुक (एम.बी.) भरने की एवज में मनीष चांदना उप मण्डल अभियंता (सब-डिविजीनल इंजिनियर) कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. एम.आई.रोड़ जयपुर द्वारा 1 लाख 27 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये मनीष चांदना पुत्र श्री गोपीचंद चांदना निवासी प्लॉट नं0 106, कल्याण कुंज, कालवाड़ रोड़, कांटा चौराहा, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर हाल उप मण्डल अभियंता (सब-डिविजीनल इंजिनियर) कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. एम.आई.रोड़ जयपुर को परिवादी से 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।